रजिस्ट्री सं. डी॰—(डी एन)—128/89 Registered No. D—(DN)—128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24, 1989 (आषाढ़ 3, 1911)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24, 1989 (ASADHA 3, 1911)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

बम्बई, दिनांक 12 जून 1989

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारियों की चौंतीसवीं वार्षिक महासभा रवीन्द्र भारती, सैफाबाद, हैदराबाद–500004 में गुरूवार दिनांक 27 जुलाई 1989 को अपराह्न 4.00 बजे निम्नलिखित कार्य हेतु होगी :

31 मार्च 1989 तक की केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलनपत्र और लाभ–हानि लेखा तथा तुलनपत्र और लेखों पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना ।

विजय अटल
प्रबंध निदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार, संस्थान

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1989

सं० 3–एन० सी० ए०(5)/ 8/88–89—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4–सी० ए० (1)/ 14/60–61, दिनांक 4–1–61 और 3–एन० सी० ए० (4)/3/ 86–87, दिनांक 27–2–187, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित

सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है :

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	4789	श्री अमिया प्रसाद ठाकुर, ए०सी०ए०, 246/सी०, नेताजी सुभाष-चन्द्रा रोड़, कलकत्ता-19	29-4-88
2.	82853	श्री सुबाष चन्दर, ए०सी०ए०, 33-डी०, पोकेट-ए II डी०डी०ए०, कालकाजी-एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019	10-8-88

सं० 3-एन०सी० ए० (5)/ 6/ 88-89—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-एन० सी० ए० (4)/ 2/ 88-89, दिनांक 8-2-1989, 4-सी०ए० (1)/ 16/78-79, दिनांक 29-1-1974, 3-एन० सी० ए० (4)/8/ 83-84, दिनांक 31-3-1984, 3-एन० सी० ए० (4)/ 9/85-86, दिनांक 31-3-1986, 3-एन० सी० ए० (4)/ 3/87-88, दिनांक 30-12-1987, 3-एन० सी० ए० (4)/5/ 85-86, दिनांक 20-3-1986, 3-एन० सी० ए० (4)/ 3/ 86-87, दिनांक 27-2-1987, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	9216	श्री राज कुमार, एफ०सी०ए०, 5/70, डब्ल्यू०ई०ए०, करोल बाग, नई दिल्ली	1-10-88
2.	11812	श्री दीपक नारायन, ए०सी०ए०, ए०-63, मधुबन, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 श्री दीपक नारायन, ए०सी०ए०, पी०ओ० बोक्स-30287, लुसाका, जाम्बिया	1-4-89
3.	12618	श्री अनिल कुमार, ए०सी०ए०, 8-डी०, सराभा नगर, लुधियाना	1-10-88
4.	17952	श्री मार्तेश्वर प्रसाद, ए०सी०ए०, दि ओरियन्टल इंश्योरेंस कं० लि०, हैड आफिस, ए-25/27, ओरियन्टल हाऊस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002	1-10-88
5.	80021	श्री रमेश कुमार, ए०सी०ए०, ए०/1-146, पश्चिम विहार, नई दिल्ली	1-10-88
6.	80346	श्री डी० स्वामीनाथन, ए०सी०ए०, 308, एस० एफ० एस०-अपार्टमेंटस, हौज खास, नई दिल्ली-110016	14-3-89
7.	80380	श्री राकेश कुमार कामरा, ए०सी०ए०, कृषक भारती को०-ओप० लि०, 49-50, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	21-12-88
8.	81496	श्री अनिल चोपड़ा, ए०सी०ए०, 339, नर्मदा अपार्टमेंट्स, अलकनन्दा-पोकेट-डी०, नई दिल्ली-110019	30-11-88
9.	81971	श्री बाल किशन बंसल, ए०सी०ए०, डब्ल्यू०-123, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।	1-10-88
10.	82168	श्री सुनील कुमार साहनी, एफ०सी०ए०, टी०-56, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110065	1-10-88
11.	82769	श्री जगदीप कुमार, ए०सी०ए०, 29, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110065	1-10-88

1	2	3	4
12.	82861	श्री दर्शन लाल खानिजो, ए०सी०ए०, 829, सी०ए०, अपार्टमेंटस, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली–110063	1–12–88
13.	84325	श्री राजेश नाक्रा, ए०सी०ए०, बी०–9/1309, बचन सिंह रोड़, अपोजिट ओल्ड कोर्टस, लुधियाना	1–10–88
14.	84423	श्री जगजीत सिंह, ए०सी०ए०, विलेज एण्ड पी०ओ० सरवन, डिस्ट०–अम्बाला-133206 हरियाणा	23–3–89
15.	84707	श्री अरुन कुमार जैन, ए०सी०ए०, 4091, जैन टैम्पल लेन, पहाड़ी धीरज, दिल्ली–110006	1–10–88
16.	84907	श्री शरद वास्स्यायाना, ए०सी०ए०, 27- वैशाली, दिल्ली–110034	1–10–88

सं० 3–एन० सी० ए० (5)/ 7/ 88–89—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3–सी० ए० (4)/ 2/83–84, दिनांक 31–3–1984, 3–एन० सी० ए० (4)/ 3/87–88, दिनांक 30–12–1987, 3–एन० सी० ए० (4)/ 2/ 88–89, दिनांक 8–2–1989, 3–एन० सी० ए० (4)/ 3/ 86–87, दिनांक 27–2–1987, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुन: उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है ।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	10462	श्री शिव दयाल गुप्ता, ए०सी०ए०, मैनेजर (फाईनेन्स), एन०बी०सी०सी० लि०, लोधी रोड़, नई दिल्ली, 110003	14–11–88
2.	14817	श्री हरीश कुमार सक्सेना, एफ०सी०ए०, बी०–301, नेहरू ग्राउण्ड, फरीदाबाद	1–10–88
3.	80359	श्री सुधीर जोशी, एफ०सी०ए०, 31, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	1–10–88
4.	81338	श्री पवन कुमार, ए०सी०ए०, 3576, सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली	25–1–89
5.	83643	श्री हरदेश कान्त, ए०सी०ए०, मैसर्स हरदेश कान्त एण्ड कं०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस, 29, न्यू अनाज मंडी, अम्बाला सिटी	1–10–88
6.	85704	श्री अनिल कुमार गुप्ता, ए०सी०ए०, जी०डी०–205, फस्ट फ्लोर, पितम पुरा, दिल्ली–110034	1–10–88

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स

सं० 3–एन० सी०ए० (8)/18/88–89—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाणपत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं है ।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	82635	श्री प्रदीप चौधरी, एफ०सी०ए०, 2 फ्लोर, बी–6/66, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029	27–3–89
2.	83191	श्री महेश भूषण, ए०सी०ए०, एम०–2/46, मॉडल टाऊन–3 दिल्ली	9–9–88

1	2	3	4
3.	83909	श्री महेन्द्र कुमार, ए०सी०ए०, 230, राम नगर, दिल्ली–110051	20–3–89
4.	84441	श्री गिरीश मेहरा, ए०सी०ए०, हाऊस नं० 1509, सैक्टर 33 डी०, चण्डीगढ़–160031	1–8–87
5.	85348	श्री नवनीत कुमर सेहगल, ए०सी०ए०, 1771, सैक्टर 23 बी०, चण्डीगढ़	12–8–88
6.	85809	श्री अमल सिन्हा, ए०सी०ए०, फ्लेट नं० 230, पाकेट बी०, एस०ए फ०एस० फ्लेट्स (डी०डी०ए०), मुखदेव बिहार, नई दिल्ली–110025	3–2–89
7.	86345	श्री राजीव ऐलावादी, ए०सी०ए०, 6/25, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060	1–4–89

सं० 3–एन० सी० ए० (8)/19/ 88–89––रेगूलेशन 10(1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस के रेगूलेशन 1988 के अधिनियम 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों का कार्य करने का प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द समझे जाएंगे क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	13181	श्री प्रकाश एस० तलरेजा, एफ०सी०ए०, 4104 थिम्सल सर्कल, विरजिनिया बीच, वीए० 23462, यू० एस० ए० श्री प्रकाश एस० तलरेजा, एफ०सी०ए०, केयर आफ मैसर्स रंगूल स्टूडियो, तलरेजा ब्रादर्स, 58 जनपथ, नई दिल्ली–110001	1–10–88
2.	85917	मिस चित्रा रामादोराइ, ए०सी०ए०, 496, सैक्टर 9, आर० के० पुरम, नई दिल्ली–110022	1–10–88

एम०सी० नरसिम्हन,
सचिव

बम्बई-400005, दिनांक 27 अप्रैल 1989

सं० 3–डब्ल्यू० सी० ए० (8)/3/ 89–90––चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (4) जिसे अधिनियम 10(2) के साथ पढ़ा जाए के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथि से रद्द कर दिए गये हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र के लिए वार्षिक शुल्क जमा नहीं किया था।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	09060	श्री पी०ई० जांभेकर, ए०सी०ए०, ए०/15–2 एच०डी०एफ० सी० कालोनी चिंचवड पूना–411019	1–10–88
2.	30006	श्री श्रीधर एल० मिरानी, एफ० सी० ए०, लक्ष्मी भुवन 80 एन०जी० रोड, घाटकोपर बम्बई–400077	1–8–84
3.	31292	श्री रवी महालिंगम अय्यर, एफ०सी०ए०, फ्लेट नं० 6 मीना आर० बी० मेहता रोड, घाटकोपर(ईस्ट) बम्बई–400077	1–10–88
4.	34566	श्री एस०वाई० नगरसेकर, ए०सी०ए०, 4 दामोदर निवास, ग्राउण्ड– फ्लोर नटवर नगर रोड–4, जोगेश्वरी–ईस्ट बम्बई–400060	1–8–87

1	2	3	4
5.	37717	श्री रमेश चिचानी, ए०सी०ए०, बी०/15 कुलप्रेम बशीरा नाका, बोरीवली (वेस्ट), बम्बई–400092	1–10–88

एम० सी० नरसिम्हन,
सेक्रेटर

कलकत्ता-700071, दिनांक 2 जून 1989

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3–ई०सी० ए० (5)/2/ 89-90 —इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3–ई० सी० ए० (4)/11/ 86–87, दिनांक 31–3–1987, 3–ई० सी० ए० (4)/ 12/ 83, दिनांक 31–3–1984 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्ट्रर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	6481	श्री देवेन्द्रा घोषल, ए०सी०ए०, 107, नोरमन्दी रोड, कोलोनिया एन०जे०07067, यू०एस०ए०	26–4–89
2.	50743	श्री सोमेश कुमार मुखोपाध्याय, ए०सी०ए०, 8/3, ओरोबिन्दा एवेन्यू, दुर्गापुर–713204	17–4–89
3.	52049	श्री सत्याव्रता दास, ए०सी०ए०, केयर आफ मैसर्स ब्रह्मानन्दा एण्ड कं०, रानीहाट, कटक–753001	3–4–89

सं० 3–ई० सी० ए० (8)/2/89–90—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों का जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	4843	श्री मंगत मल सेठिया, एफ०सी०ए०, पी०–9, शिबतोल्ला स्ट्रीट, 2 फ्लोर, कलकत्ता–700007	1–4–89
2.	9147	श्री दीपक कुमार दासगुप्ता, ए०सी०ए०, 26/1 बी०, शशि भूषण डे स्ट्रीट, फ्लेट–15, कलकत्ता–700012	10–4–89
3.	10073	श्री बैद्यानाथ देवनाथ, ए०सी०ए०, 15 बी, बालाराम बोष 2 लेन, कलकत्ता–700020	26–4–89
4.	10985	श्री गंगा राम भनिरामका, एफ०सी०ए०, 62/1, स्ट्रांड रोड, कलकत्ता–700006	1–4–89
5.	12443	श्री आर्या कुमार रे, ए०सी०ए०, 27, पारासर रोड, कलकत्ता–700029	11–4–89
6.	52030	श्री गौतम बनर्जी, एफ०सी०ए०, 10/1, प्रान्तिक, 2/2 बी, बुरदवान रोड, कलकत्ता–700027	1–4–89
7.	52662	श्री जुगल किशोर चन्दाक, ए०सी०ए०, 470 ए, रबिन्द्रा सरानी, कलकत्ता–700005	25–4–89
8.	54385	श्री आसीम खेत्री, ए०सी०ए०, मैसर्स कैलाश नाथ एण्ड एसोसिएटस, 14 बी, कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता–700017	1–4–89

दिनांक 5 जून 1989

सं० 3–ई०सी० ए० (4)/1/89–90—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम, 18 के अनुसरण में एतद्-द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनकी अपनी प्रार्थना पर उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	4238	श्री सुशील कुमार गुहा मुस्तफी, 1, नटोर पार्क, 2 रोड, कलकत्ता–700039	1–4–89
2.	38031	श्री फजल फतेहल्ली, 6414, एन० नेवगार्ड–आई० ई० चिकागो, आई०एल०–60626, यू०एस०ए०	1–4–89

सं० 3–ई० सी०ए० (4)/2/89–90—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्-द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 20 उप धारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	3456	श्री कामेश प्रसाद भारगवा, मैसर्स प्राईस वाटरहाउस, बी० 3/1, मिलैन्डर हाऊस, एन०एस० रोड, कलकत्ता–700001	21–4–89
2.	5535	श्री राम चन्द्रा जयसवाल, मैसर्स एस०आर० बैटलीवाई एण्ड कं०, 36, गनेश चन्द्रा एवेन्यू, कलकत्ता–700013	5–4–89
3.	5273	श्री सी० रघुनाथम, मैसस रो एण्ड पाल, काठागोला, मंगलाबाग, कटक–753001	30–4–89

मद्रास-600034, दिनांक 30 मई 1989

सं० 3–एस० सी० ए० (4)/1/89–90—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम, 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 20 उप धारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	402	श्री देसापांडी तिरूमाला राव, 40–812 ए, नेहरू नगर, कुरनूल–518004	10–3–89
2.	5134	श्री सैत एस० मोहो द इस्मैल, 6, सुलैमान जकरिया एवेन्यू, कासामैजर रोड, इगमोरे, मद्रास–600008	10–2–89
3.	8108	श्री सी०एन० कृष्नन, 849, सिंडीकेट बैंक कालोनी, अन्नानगर वैस्ट, मद्रास–600101	25–1–89
4.	21715	श्री एस० मुरलीधरन, नं० एम 49/4, फर्स्ट मैन रोड, बेसन्त नगर, मद्रास–600090	20–10–88
5.	27254	श्री पी०वी० सत्यानारायना, 25–7–1, पल्लावारी स्ट्रीट, विशाखापटनम–530001	2–3–89

दिनांक 5 जून 1989

सं० 3–एस०सी०ए० (8)/1/89–90—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे

दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं ।

क्रं० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	3810	श्री एस०आर० राजासेकरन, ए०सी०ए०, साईट नं० 51, टी० नगर, रामानाथापुरम, कोयम्बटोर–641045	1–4–89
2.	20289	श्री पी० बालासुब्रामनियम, ए०सी०ए०, केयर आफ स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक, पी०ओ० बाक्स–999, दुबई, यू०ए०ई०	13–4–89
3.	21178	श्री रोय आई० वरघीज, एफ०सी०ए०, मलायातू, पारोत्तुकोनम, नालनचिरा पी०ओ०, त्रिवेन्द्रम–695015	1–4–89
4.	22390	श्री एन० नारायनास्वामी, ए०सी०ए०, सिनियर एकाउन्ट्स आफिसर, एन०टी० पी०सी०/बी०एस० टी०पी०पी०, विंध्यानगर, पी०ओ०–486885 सिधि डिस्ट०	27–3–89
5.	23160	श्री डी०एस० प्रसाद रेड्डी, ए०सी०ए०, बेसमेंट सफायर काम्पलैक्स, 5–9–88/1 एण्ड 2, चेप्पल रोड, फतेह मैदान, हैदराबाद–500001	3–4–89
6.	23697	श्री पी० नारायनन, ए०सी०ए०, पुरायान्नुर हाउस, ओट्टापालेम, केरल–679101	26–4–89
7.	23725	श्री पी० थिरुमाला सत्या– नारायना, ए०सी०ए०, ए०पी०टी०5ई, 139–05, 85 डा०, क्यू गार्डेन्स, न्यूयार्क–114535	13–3–89
8.	24483	श्री के०के० रमेश, ए०सी०ए०, 19/980, "गीथान्जलि", तालली ईस्ट, कोजीकोड–673002 (केरल)	18–1–89
9.	24858	श्री एस० राजागोपालन, ए०सी०ए०, "कनकाधरा", नं० 5, नटेसा मुदाली स्ट्रीट, वेंकटापुरम, अम्बात्तुर, मद्रास–600053	27–3–89
10.	26345	श्री एस० सेल्वाराज, ए०सी०ए०, सलाइपुदुर सलाइपुदुर (पी०ओ०), इरोड (टीके) 631158 पेरीयार डिस्ट०	1–12–88
11.	26448	श्री एस०आर० शान्ताप्रकाश, ए०सी०ए०, 3, लक्ष्मी कालोनी, टी० नगर, मद्रास–600017	13–3–89
12.	27267	श्री ए०वी० सुगावानम, ए०सी०ए०, एफ०–19, इंदिरागांधी रोड, फेयरलैण्ड्स, सलेम–636016	1–4–89
13.	27605	श्री के०एस० सनल कुमार, ए०सी०ए०, एकाउन्ट्स मैनेजर (टी०), रेवेन्यू सैक्शन, आई०ए०ए० आई०–बम्बई एयरपोर्ट, बम्बई–400099	19–1–89
14.	28144	श्री एम०एस० रमेश, ए०सी०ए०, नं० 192, श्री अयप्पा नगर, मद्रास–600111	16–11–88

सं० 3–एस० सी० ए० (8)/2/89–90—रेगुलेशन 10(1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के रेगुलेशन 1988 के अधिनियम 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाये, के अनुसार एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द समझे

जाएंगे क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था ।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	12571	श्री वी० मुरलीधरन, ए०सी०ए०, टी०-14, 3 मैन रोड, अन्नानगर, मद्रास-600040	1-8-82
2.	14084	श्री ए० पंचापकेशन, ए०सी०ए०, एच० 43/7, वेस्ट एवेन्यू, थिरुवानमियूर, मद्रास-600041	1-8-87
3.	21133	श्री मोहम्मद नियामाथुल्लाह, ए०सी०ए०, 59, स्ट्राहन्स रोड, पेरम्बुर बैरेक्स, मद्रास-600012	1-8-82
4.	21150	श्री आर० एस० राजन, ए०सी०ए०, 36, महल 4 स्ट्रीट, मधुराई-625001	1-8-86
5.	19573	श्री पी० वेंकटाचलम, ए०सी०ए०, 12-2-827/7, कान्धी- नगर कालोनी, मेहदीपटनम, हैदराबाद-500028	1-8-85
6.	37702	श्री रूप नारायन पिल्लई, ए०सी०ए० 744, इंदिरा नगर, 1 स्टेज, बंगलौर-560038	1-8-86

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 1989

सं० एन-15/13/14/1/89-योजना एवं विकास (2)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य विनियम-1950) के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-6-1989 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे ।

अर्थात्

नीलगिरि :	"जिला कोयंबटूर के पालाडम तालुक में राजस्व ग्राम वीरापान्डी (नं० 24 वीरापान्डी) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र" ।
होसुर के आसन्न क्षेत्र	"जिला धरमापुरी के होसुर तालुक में राजस्व ग्राम मोरेनापल्ली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ।

एस० घोष
निदेशक (योजना एवं विकास)

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

यथासंशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 28 (3) के अधीन योजना की अधिसूचना ।

तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण-1 (2×500 मेगावाट) तथा संबद्ध पारेषण प्रणाली ।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 जून 1989

सं० 01: जी०एन०: 3—यथासंशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक उत्पादन कंपनी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (इसमें इसके पश्चात "उत्पादन कम्पनी" कहा गया है) ने अधिनियम की धारा 29 (1) के साथ पठित धारा 31 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) की सहमति से उत्पादन केन्द्र, टाइ लाइनों, 1000 मेगावाट (2×500 मेगावाट) क्षमता के उपकेन्द्र के उपकरणों आदि विद्युत केन्द्र तथा संबद्ध पारेषण प्रणाली की स्थापना निर्माण प्रचालन व रख-रखाव के संबंध में निम्नलिखित योजना की स्वीकृति दी है ।

और उक्त अधिनियम की धारा 28(3) के अधीन उत्पादन कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वीकृत योजना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करें ।

इसलिए अब उत्पादन कम्पनी एतद्द्वारा इस योजना को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 42 के साथ पठित धारा 28(3) के निबंधनों के अनुसार इस प्रकार प्रकाशित करती है :—

योजना का नाम :

यह योजना 1000 मेगावाट (2×500 मेगावाट) क्षमता के विद्युत केन्द्र वाले तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन तथा संबद्ध पारेषण प्रणाली के नाम से जानी जायेगी

अवस्थिति

तालचर सुपर थर्मल विद्युत परियोजना उड़ीसा राज्य के देंकानाल जिले में अवस्थित है ।

योजना की मुख्य विशेषताएं

पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा विद्युत कार्यक्रम के संपूर्ण के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा तालचर चरण–1 स्थापित किया गया है । इस योजना के कार्यक्षेत्र में दो स्टीम जनरेटरों के साथ–साथ सहायकों वाले दो टर्बो जनरेटरों (प्रत्येक 500 मेगावाट का) की स्थापना शामिल है । इस कार्यक्षेत्र में कूलिंग टावरों, कोयला व राख प्रहस्तन संयंत्र, एयर कंप्रेशर तथा यांत्रिक व बिजली के अल्प सहायक उपकरण, संयंत्र के प्रचालन व रख-रखाव कर्मचारियों के लिए कालोनी परियोजना तक पहुंचने के लिए सड़क कोयला ढोने के लिए एम० जी० आर० प्रणाली, रेल लाइन आदि सहित जेनरेशन बस डक्ट्स, जेनरेटर ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, 400 किलोवाट स्विचयार्ड, यूनिट तथा सहायक ट्रांसफार्मर, एच० टी० व एल० टी० स्विचगीयर नियंत्रण और यंत्रीकरण, सी० डब्ल्यू० प्रणाली भी शामिल हैं ।

संबंद्ध पारेषण तंत्र जिसे केन्द्र में उत्पादित बिजली का निष्क्रमण होगा उसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

	रूट की लम्बाई (कि० मी० में)
क. 400 किलोवाट पारेषण लाइनें	
(1) तालचर एस०टी०पी०एस० रंगोली	दोहरी लाइन 40
(2) तालचर एस०टी०पी०एस० राउरकेला	दोहरी लाइन 175
ख. 400 किलोवाट उप केन्द्र का विस्तार/वृद्धि संबर्द्धन	
(1) रेंगाली में एन० एच० पी० सी० के अधीन पहले से ही अनुमोदित 400 किलोवाट के उपकेन्द्र का विस्तार ।	
(2) राउरकेला में पहले से ही अनुमोदित उप केन्द्र का संबर्द्धन व विस्तार (कहलगांव एस० टी० पी० एस० पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत)	

1×315 एम० वी० ए० 400×220 किलोवाट

परियोजना के लिए कोयले की पूर्ति तालचर कोयला क्षेत्रों के लिंगराज ब्लाक से की जायेगी । परियोजना तक कोयला नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा स्थापित कैप्टिव मेरी गो राउण्ड प्रणाली द्वारा ढोया जाएगा । संयंत्र के लिए उपयोग में लाए जाने वाले और मेक अप जल की आपूर्ति ब्रह्मणी नदी पर बने सामल धिजलाशय से की जायेगी ।

अनुमानित लागत

योजना की स्वीकृत अनुमानित लागत रु० 1404.04 करोड़ रु० है । जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज उत्पादन केन्द्र के लिए अतिरिक्त चलती पूंजी और संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए निर्माण के दौरान ब्याज सहित 76.81 करोड़ रुपए (76.58 करोड़ रुपए जैसा कि सी ई० ए० द्वारा स्वीकृत किया गया है) शामिल है ।

परियोजना चालू होने का कार्यक्रम

परियोजना की 500 मेगावाट की पहली यूनिट अप्रैल, 1994 तथा दूसरी यूनिट मार्च, 1995 तक चालू हो जाएगी । संबद्ध पारेषण लाइनें प्रगामी रूप से चालू की जाएगी ताकि पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने पर लाभभोगी राज्यों में बिजली का निष्क्रमण सुनिश्चित किया जा सके ।

विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 (यथासंशोधित) के अनुसरण में उत्पादन कम्पनी उपर्युक्त स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से समस्त शक्तियों का प्रयोग उक्त अधिनियम के अधीन करेगी । यह भी अधिसूचित किया जाता है कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (यथासंशोधित) की धारा 42 की शर्तों के अनुसार स्वीकृत किए गए क्षेत्र में योजना के निष्पादन हेतु बिजली के पारेषण व वितरण अथवा ऊपर बताए गए क्षेत्र में उत्पादन कम्पनी के कार्यों में उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीग्राफ अथवा दूरभाष संबंधी संचार के पारेषण के उद्देश्य से तार बिछाने, खंबे वाले ब्रेकेट, स्टेज उपकरण व अन्य उपकरण लगाने के संबंध में उत्पादन कम्पनी वे सभी शक्तियां रखेगी जो टेलीग्राफ प्राधिकारी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, के भाग-III के अधीन किसी टेलीग्राफ स्थापन या सरकार द्वारा चलाए गए या इस प्रकार स्थापित किए जाने वाले या चलाए जाने वाले टेलीग्राफ के संबंध में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 16 तक तथा 18 से 19 की शर्तों के होते हुए भी रखता हूं ।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, यथासंशोधित, की धारा 28(3) में दिए गए वैधानिक प्रावधानों की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त योजना की स्वीकृति सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके आम जनता को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है ।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०
के आदेशानुसार

दर्शन कुमार बन्धर,

वर्ष 1987-88 के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

प्रस्तावना:

1. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा इनके धर्मादा जिसे सामान्यतया "दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर" के नाम से जाना जाता है के उचित प्रशासन हेतु व

वर्ष 1955 से संसद द्वारा "दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम" पारित किया गया । इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दरगाह के धर्मादा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(अ) दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर ।

(ब) दरगाह ख्वाजा शरीफ की सीमा में सभी इमारतें तथा चल सम्पत्ति ।

(स) दरगाह जागीर जिसमें दरगाह शरीफ से संबंधित सभी भूमि, भवन, दुकानें तथा सभी अचल संपत्ति जहां भी स्थित हो, शामिल है ।

(द) अन्य सभी संपत्ति तथा सारी आय किसी भी स्रोत से दरगाह को समर्पित हो अथवा धार्मिक पाक खैराती उद्देश्यों के लिए दरगाह प्रशासन के अधीन रखी गई हो जिसमें अजमेर के होकरन तथा किशनपुर गांवों की जागीरदारी भी सम्मिलित है ।

(र) दरगाह की ओर से नाजिम अथवा अन्य व्यक्ति जो इसके द्वारा प्राधिकृत हो को प्राप्त सभी नजरानों तथा भेंटों की आय ।

1.2 दरगाह का प्रशासन, नियंत्रण, तथा व्यवस्था "दरगाह समिति, अजमेर" नामक समिति में निहित है । समिति की राय से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नाजिम के जरिए समिति अपने कार्य सम्पन्न करती है दरगाह प्रशासन का मुख्य अधिशाषी अधिकारी नाजिम होता है जो समिति के सचिव की भांति भी कार्य करता है ।

1.3 उपरोक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के अधीन दरगाह के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवर्ष ऐसे लोगों से, ऐसे ढंग से जैसा केन्द्रीय सरकार निर्देश दे अपेक्षित है । दरगाह के लेखों की लेखा परीक्षा भारत सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है ।

1.4 दरगाह ख्वाजा साहब, अधिनियम 1955 की धारा 19(2) निर्धारित करती है कि समिति प्रत्येक वर्ष दरगाह के प्रशासन पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगी जो लेखों तथा लेखों पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होगी ।

2. लेन-देनों का सारांश

वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष 10.18 लाख रुपए था । जिसमें प्रतिभूतियां एवं स्थायी जमा के रुपए 5.33 लाख सम्मिलित थे । वर्ष में कुल प्राप्तियां 32.26 लाख रुपये थी 22.38 लाख रुपये के व्यय कुल व्यय 27.68 लाख रुपए में से 5.30 लाख रुपए स्थायी जमा में निवेश करने के बाद शेष रहने के बाद 31 मार्च 1988 को अंतिम शेष 20.06 लाख रुपए रहा जिसमें से 10.63 लाख रुपये प्रतिभूतियां एवं स्थायी जमा में निवेषित किए गए।

3. आय–व्यय लेखों का उपचय (अक्रुअल) आधार पर नहीं बनाया जाना

दरगाह प्रशासन द्वारा वर्ष 1987–88 के लिए केवल वास्तविक आय एवं व्यय का विवरण बनाया गया । आय-व्यय लेखे अक्रुअल आधार पर बनाये जाने चाहिये थे जिसमें संबंधित वर्ष की समस्त आय चाहे वह प्राप्त हुयी हो या नहीं, जमा की जानी चाहिए एवं व्यय चाहे भुगतान किया गया हो या नहीं, प्रभारित किया जाना चाहिए । अतः दरगाह प्रशासन द्वारा बनाये गए लेखे वास्तव में प्राप्ति एवं भुगतान लेखे था ।

4. बैलेंस शीट का नहीं बनाया जाना

दरगाह प्रशासन द्वारा प्रारंभ से ही बेलेन्स शीट नहीं बनायी गयी जिसके परिणामस्वरूप दरगाह ख्वाजा साहब की वर्ष 1987–88 के अंत में सम्पति एवं दायित्व की सही स्थिति आंकलन योग्य नही थी । इसी कमी को प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के द्वारा दरगाह प्रशासन के ध्यान में लाये जाने के बावजूद भी बेलेन्स शीट बनाने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई । (जून 1988) बेलेन्स शीट बनाने के मामले में प्रगति पर दरगाह के नाजिम से विचार विमर्श किया गया एवं यह बताया गया कि व्यावहारिक में बेलेन्स शीट बनाना कठिन होगा । फिर भी मामले पर दिनांक 9 एवं 10 अप्रैल, 1988 को दरगाह समिति की बैठक में विचार विमर्श किया गया एवं समिति का अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सेवायें प्राप्त की जाय किन्तु इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का जून 1988 तक प्रारम्भ किया जाना नहीं पाया गया।

अचल सम्पत्तियों के अतिरिक्त दरगाह के गुम्बाद शरीफ मुख्य तोशाखाना एवं सहायक तोशाखाना में कई सोने व चांदी के बहुमूल्य कीमती वस्तुएं हैं । जिनको दरगाह ख्वाजा साहब के लखों में लेखाबद्ध किया जाना एवं दर्शाया जाना आवश्यक है जिससे उनकी सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण प्रदर्शित हो सके ।

ह/० अपठनीय
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
राजस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर
दिनांक : 5 दिसम्बर 1988

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के प्राप्ति और भुगतान लेखों की जांच कर ली है । मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्यधीन अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों

और संगठन की बहियों में किये गये उल्लेख के अनुसार ये लेखे उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं और दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर के कार्य कलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ताक्षर
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
राजस्थान (जयपुर)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 5 दिसम्बर, 1988

वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट, 1987-88

प्रस्तावना :

दरगाह कमेटी के समक्ष वर्ष 1987-88 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का यह मेरा सौभाग्य है।

(2) इस वर्ष दरगाह कमेटी के निम्नलिखित सदस्य व पदाधिकारी थे :—

1. जनाब ईस्माईल एम० बाव्ला	प्रेसीडेन्ड
2. जनाब हुसन सैनी निज़ामी	वाईस प्रेसीडेंट
3. जनाब शाह हुसैन अहमद	सदस्य
4. जनाब रहीस मियां चिश्ती	सदस्य
5. जनाब मोहम्मद जामन आरीफ	सदस्य
6. जनाब ख्वाजा अहमद निज़ामी	सदस्य
7. जनाब एम० एस० फारुकी	सदस्य
8. जनाब जान मोहम्मद खान	सदस्य
9. जनाब अब्दुल रहमान खान नस्तर	सदस्य

(3) जनाब ईस्माईल एम० वाव्ला तथा जनाब ख्वाजा हुसन सैनी निज़ामी इस पूरे वर्ष कमेटी के प्रेसीडेंट तथा वाईस प्रेसीडेंट क्रमशः रहे।

वित्तीय स्थिति :

(4) दरगाह कमेटी की इस वर्ष की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार रही है :—

गत वर्ष की शेष राशि	1 अप्रैल, 1986	1 अप्रैल, 1987
	रु०	रु०
चालू	3,03,154.00	4,85,494.00
मियादी जमा	1,51,000.00	5,31,000.00
प्रतिभूतियां	2,000.00	2,000.00
	4,56,154.00	10,18,494.00

इस वर्ष की प्राप्ति राशि (रिसीप्ट)

	1986-87	1987-88
	रु०	रु०
राजस्व	22,90,290.00	26,90,255.00
पूंजी	30,039.00	35,652.00
ऋण	—	5,00,000.00
योग	23,20,329.00	32,25,907.00

इस वर्ष का व्यय :

	1986-87	1987-88
	रु०	रु०
राजस्व	16,15,343.00	20,65,162.00
पूंजी	2,42,646.00	1,72,849.00
योग	17,57,989.00	22,38,011.00

क्लोजिंग बैलेन्स :

	31-3-87	31-3-1988
	रु०	रु०
चालू	4,85,494.00	9,43,019.00
मियादी से जमा	5,31,000.00	10,61,371.00
प्रतिभूतियां	2,000.00	2,000.00
योग	10,18,494.00	20,06,390.00

(5) इस प्रकार दरगाह की आय में इस वर्ष रु० 3,99,965 (रुपये तीन लाख निन्यानवें हजार नौ सौ पैंसठ) की शुद्ध वृद्धि हुई। वास्तव में गत 6 वर्षों में दरगाह की आय में कीर्तिमान वृद्धि हुई है, जो निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

1981-82	1982-83	1983-84
रु०	रु०	रु०
9,98,940	11,99,947	13,74,752

1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
रु०	रु०	रु०	रु०
17,55,460	18,67,275	22,90,290	26,90,255

उपरोक्त आय के साथ-साथ खर्चों में भी वृद्धि हुई है और विशेष रूप से खैराती तथा कल्याणकारी गतिविधियों में, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

	1981–82	1987–88
1. कर्मचारियों का वेतन	रु० 1,92,017.0[illegible]	रु० 5,[illegible]68.00
2. विधवाओं को वजीफा	18,815.00	36,929.00
3. प्रतिदिन का लंगर व रमजान पर व्यय	55,342.00	1,48,507.00
4. ईदगाह व मस्जिद के मरम्मत पर व्यय	15,525.00	1,48,507.00
5. शामयानों की मरम्मत व खरीद पर व्यय	13,798.00	41,896.00
6. दारुल-ऊलूम तथा वजीफे टेक्नीकल/मेडीकल विद्यार्थियों पर व्यय	3,600.00	7,440.00
7. यूनानी व होमोपेथिक सफाखाना	10,705.00	68,388.00

दरगाह प्रशासन द्वारा फूलों, संदलों व मोमबत्तियों जिनका उपयोग मजार शरीफ में किया जाता है पर भी खर्चा किया गया। बिजली व पानी के बिलों का भुगतान, दरगाह के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, विद्यार्थियों को वजीफे की अदायगी तथा प्रतिदिन के लंगर पर व्यय, गरीबों को मदद तथा दरगाह शरीफ व गेस्ट हाउस के मरम्मत इत्यादि पर नियमित रूप से धन राशि व्यय की गई।

उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज :

ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का उर्स 1 रजब 1408 हिजरी तदानुसार 20 फरवरी, 1988 को प्रारम्भ हुआ तथा बड़ा कुल जो 9 रजब तदानुसार 28 फरवरी, 1988 को समाप्त हुआ। इस दिन सारे दरगाह की धुलाई व सफाई की जाती है। जायरीन गुलाब जल छिड़कते हैं। इस वर्ष कांच की टूटी बोतलों के कारण जायरीन को चोटें आती हैं, वह बिल्कुल नगण्य रही क्योंकि जायरिनों को कांच की बोतलें ले जाने का प्रतिबन्ध था, उनको प्लास्टिक की बोतलों में ही गुलाब जल ले जाने की अनुमति दी गई थी। जुम्मे की नवाज दिनांक 30 जमादीउसानी तथा 7 रजब तदानुसार 9 तथा 26 फरवरी, 1988 को हुई। प्रत्येक जुम्मे को 2 लाख से अधिक जायरिनों ने नवाज अदा की। यह कीर्तिमान संख्या थी और प्रत्येक कार्य शांति व सही तरीके से सम्पन्न हो गया। दोनों अवसरों पर जायरिनों को अन्दर आने व बाहर जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। दरगाह शरीफ के बाहर नवाजी कई कतारों में मदार गेट व रेलवे स्टेशन व दूसरी ओर दौलत बाग तक खड़े रहे और इन लोगों ने नवाज अदा की। दरगाह प्रशासन की ओर से बहुत संख्या में लाऊड स्पीकर पूरे क्षेत्र में काफी जयारिनों की संख्या को देखते हुए लगा दिये गये थे।

कुल की रस्म 6 रजब तदानुसार 25 फरवरी, 1988 को प्रातः 11.30 से 1.30 तक सम्पन्न हुई। इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाही शान्ति से सम्पन्न हो गई। लगभग 4 लाख जायरिनों ने इस दिन नवाज अदा की। इस अवसर पर नियत सब रीति-रिवाज व रश्में भी सही तरीके से व शान्ति से सम्पन्न हुई। विश्राम स्थल पर एक केम्प प्राइवेट बसों में आने वाले जायरिनों की सुविधा के लिये स्थापित किया था। इस वर्ष भिन्न-भिन्न स्थानों से लगभग 3000 से भी अधिक प्राइवेट बसें आई थीं। विश्राम स्थल पर बसों को पार्किंग करने की व्यवस्था संतोषजनक थी। उक्त केम्प में सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया गया था यद्यपि इस वर्ष सूखे व अन्य परेशानियों के कारण पानी की व्यवस्था भी संतोषजनक रूप से की गई थी। काफी संख्या में हैण्ड पम्प लगाये गए थे तथा पानी को संग्रह करने के लिये टेंक्स भी बनाये गये थे। आवश्यक वस्तुओं को काफी मात्रा में उपलब्ध कराने की दृष्टि से सस्ते मूल्य की दुकानें भी खोली गई थीं। जायरिनों को पहली बार सस्ते भोजन के पेकेटों की व्यवस्था की गई थी। दरगाह प्रशासन की ओर से एक सेवा कैम्प विश्राम स्थल पर जायरिनों की मदद करने की दृष्टि से स्थापित किया था। इस कैम्प का प्रबन्ध दरगाह के कर्मचारियों व स्काउट्स के द्वारा किया गया था। काफी संख्या में लाऊड-स्पीकर 16-चेनल पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से विश्राम स्थल, रेलवे स्टेशन व अन्य स्थानों पर लगाये गये थे। यह व्यवस्था मुख्य पूछताछ दफ्तर जो की बुलन्द दरवाजे में लगाया गया था, से की गई थी। लगभग 750 बिछड़े हुए बच्चे व व्यस्कों को उनके परिवारजनों को सुरक्षित रूप से सुपुर्द किया गया था। भारत स्काउट की गाईड के स्वयंसेवकों ने भी काफी सेवा की। विश्राम स्थल पर 2 फर्स्ट एड चौकियां इंडियन रेडक्रास, सोसायटी यू० पी० द्वारा स्थापित की गई थी। दरगाह शरीफ के अन्दर पहली बार दरगाह प्रशासन की ओर से क्लाज सर्किट टी० वी० सेट्स लगाये गये थे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भीड़ पर नियंत्रण रखना तथा असामाजिक तत्वों पर निगाह रखना था।

उपलब्धियां :

झालरा की सफाई का कार्य बहुत समय से पड़ा हुआ था, जो इस वर्ष जिला प्रशासन की मदद से पूरा किया गया। झालरा के अन्दर काफी गहरा बोरिंग किया गया जिससे पानी की सप्लाई को बढ़ाने में बहुत मदद मिली। सारे दरगाह शरीफ व पूरे गेस्ट हाऊस काम्पलेक्स को निरन्तर रूप से बिजली की सप्लाई बनाये रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई। उर्स के अवसर पर अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया गया जिन्होंने स्थानीय कर्मचारियों के साथ रात और दिन बराबर दरगाह शरीफ की सफाई का प्रबन्ध किया। पानी व

बिजली क सप्लाई के विषय म कोई शिकायत किसी से भी प्राप्त नहीं हुई ।

दरगाह प्रशासन के द्वारा उर्स के अवसर पर अतिरिक्त चपरासियों तथा सफाई वालों को नियुक्त किया गया, यद्यपि प्रतिदिन डेगे पकाई जाती थी इसके उपरान्त भी दरगाह शरीफ में सफाई का बहुत ही अच्छा व संतोषजनक प्रबन्ध किया गया था । इस वर्ष डेगों में पकाया गया खाना लूटना य बेचना निषिध किया गया किन्तु बहुत ही नियमित व अनुशासित तरीके से इसे दरगाह शरीफ में लोहे के कटेरों के अन्दर से बांटा गया इस कारण दरगाह का यह भाग काफी साफ व सुथरा रहा ।

इस वर्ष 265 जायरिनों का एक दस्ता पाकिस्तान से भी उर्स के अवसर पर आया और उनके ठहरने का प्रबन्ध जिला प्रशासन द्वारा राजकीय गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल में किया गया । नगर परिषद् अजमेर द्वारा उक्त दस्ते का नागरिक अभिनन्दन भी विजय लक्ष्मी पार्क में किया गया ।

जायरिनों का निःशुल्क इलाज के लिये दरगाह शरीफ में सात दवाखाने जिनमें से एक फर्स्ट एड पोस्ट जो आल इंडिया रेडक्रास सोसायटी यू० पी० द्वारा स्थापित की गई थी । उर्स के समय कुल 30,950 जायरिनों का इलाज किया गया ।

सारा प्रशासनिक प्रबन्ध विशेष रूप से पुलिस, बिजली, पानी, सफाई उर्स के समय बहुत ही उच्च स्तर के रहे । रेलवे द्वारा भी काफी अच्छा प्रबन्ध जायरिनों को लाने व ले जाने का किया गया था ।

यद्यपि कुल 25 फरवरी, 1988 को समाप्त हो गया था किन्तु बहुत अधिक जायरिन जुम्मे की नमाज अदा करने के लिये 26 फरवरी 1988 तक ठहरे रहे । यह बहुत बड़ा कार्य था जिसमें नमाजियों की कतारें दरगाह से रेलवे स्टेशन तक तथा दौलत बाग क्षेत्र तक फैली हुई थीं किन्तु खुदा की मेहरबानी से सारा कार्य पूरा सम्पन्न हो गया । जिला प्रशासन ने दरगाह प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग दिया और रात और दिन मेहनत करके उर्स के कार्य को सम्पन्न होने में काफी मदद की । हर स्तर पर जिला प्रशासन का सहयोग उच्च स्तरीय था । दरगाह के कर्मचारियों ने काफी लगन व मेहनत से अपने कार्य को सम्पन्न किया यद्यपि उन्हें अपने कर्तव्य को पूरा करने में काफी कठिनाई सहन करनी पड़ी । इस वर्ष प्रबन्ध इतना अच्छा व संतोषजनक था कि हर जायरिन ने यही कहा कि इस वर्ष का जैसा प्रबन्ध दरगाह शरीफ के अन्दर व बाहर पहले कभी भी नहीं हुआ ।

दरगाह शरीफ की रस्में :

गरीब नवाज वार्षिक उर्स व जुम्मे रात व छठी शरीफ पर कव्वालियों की महफिलें रीति-रिवाज के अनुसार बहुत ही संतोषजनक तरीके से सम्पन्न हुई । खुलेफा-ए-रशीदीन का एराज मुहर्रम शरीफ व ईद मिलादुन नबी इत्यादि भी नियमित व सही तरीके से सम्पन्न हुई ।

हिसाब का आडिट :

ए० जी० राजस्थान द्वारा दरगाह के हिसाब का वर्ष 1987–88 का आडिट किया गया चूंकि हिसाबात सही तरीके से रखे हुए थे इसलिये आडिट ने कोई भी एतराज प्रकट नहीं किया । ओडिट सर्टिफिकेट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और ओडिट रिपोर्ट इस वर्ष की "कुछ नहीं" के रिमार्कस से पारित की गई ।

कल्याणकारी गतिविधियां तथा आर्थिक मदद :

वर्ष 1987–88 म निम्नलिखित खर्चे कल्याणकारी तथा सामाजिक गतिविधियों पर किये गये :—

1. विधवाओं तथा जरुरतमंदों को सहायता :

रु० 30,929/- (रुपये छत्तीस हजार नौ सौ उन्तीस) की आर्थिक सहायता 177 खादिम, गैर-खादिम, पीरजादगान्म व अन्य स्थानीय व अजमेर से बाहर की विधवाओं को मदद के रूप में खर्च किये गये ।

2. मेडीकल तथा टेक्नीकल शिक्षा पा रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

रु० 7,440 (रुपये सात हजार चार सौ चालीस) की राशि योग्य तथा जरुरतमंद 5 विद्यार्थियों को 100/- रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देने में व्यय हुए ।

3. तजीज-ओ-तफकिन (लावारिस लाशों को दफनाने में)

रु० 15,537/- (रुपये पन्द्रह हजार पांच सौ सैंतीस) की राशि लावारिस लाशों को तथा उन व्यक्तियों की लाशों को जो दफनाने का खर्चा वहन नहीं कर सकते थे, पर व्यय किये गये ।

4. गरीब विद्यार्थी, गरीब माता-पिताओं तथा सादिर-ओ-वारिद, चोरी व जेबकट से पीड़ित व्यक्तियों को मदद :

उपरोक्त किस्म के व्यक्तियों को आर्थिक मदद के रूप में इस वर्ष रु० 10,856/(रुपये दस हजार आठ सौ छपन) व्यय किये गये ।

5. शिक्षा संस्थाओं को मदद :

रु० 5,000 (रुपये पांच हजार) की राशि मोहम्मद अली मेमोरियल हायर सैकन्डरी स्कूल, ब्यावर को एड-होक मदद के रूप में दिये गये । यह राशि 400/- रु० प्रतिमाह दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त थी ।

6. स्टाफ तथा अन्य लोगों को चिकित्सीय सहायता :

स्टाफ व अन्य को चिकित्सा मदद के रूप में रु० 4,594/- (रुपये चार हजार पांच सौ चौरानवें) व्यय किये गये ।

7. डिस्पेंसरियों को मुफ्त दवायें प्रदान करना

दरगाह कमेटी द्वारा दवाखाने दो होमोपेथिक तथा यूनानी नियमित रूप से चलाये जा रहे है । इन दोनों दवाखानों पर रु० 68,168/- (रुपये अड़सठ हजार एक सौ अड़सठ) व्यय किये गये और इनसे लगभग 1 लाख व्यक्तियों ने मुफ्त दवायें इस वर्ष प्राप्त की ।

8. रमजान पर लगर तथा केन्द्रीय कारागृह में कैदियों को इफ्तरी :

रमजान के अवसर पर लगभग 300 से अधिक गरीब रोजदारों को प्रतिदिन दो समय समुचित खाना दिया गया। इसके अतिरिक्त रमजान के पूरे महीने में केन्द्रीय कारागृह में 65 कैदियों को इफ्तरी बर्फ, चीनी इत्यादी का प्रबन्ध उन कैदियों के लिये किया गया जो रोजे रख रहे थे। इस मद में 15,506 (रुपये पन्द्रह हजार पांच सौ छः) व्यय किये गये।

9. प्रतिदिन का लंगर :

दरगाह शरीफ में प्रतिदिन लंगर (पका हुआ गेहूं व जौ का दलिया) दो समय मुफ्त वितरित किया जाता है। यह बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को जो भी इसे प्राप्त करना चाहे, दिया जाता है। इस मद में वर्ष 1987–88 में रु० 84,500/ (रुपये चोरासी हजार पांच सौ) व्यय हुए।

भविष्य की योजनाएं :

दरगाह सम्पत्तियों के विकास के लिये दरगाह कमेटी ने निम्नलिखित योजनायें तैयार की हैं :—

1. दरगाह शरीफ में लगे हुए लाल पत्थरों को हटा कर संगमरमर लगाने का कार्य।

2. दरगाह लायब्रेरी का सुधार।

3. केरियर कोर्नर दरगाह शरीफ में स्थापित करने का कार्य।

4. दरगाह बंगलों में रिहायशी-कम-व्यापारिक काम्पलेक्स निर्मित कराने का कार्य।

5. पखाने बनाने का कार्य।

6. ग्राम कायड़ की जमीन को सुधारने का कार्य।

यद्यपि दरगाह कर्मचारियों के वेतन में पिछले छः वर्षों में काफी वृद्धि की गई है किन्तु मौजूदा कीमतों की बढ़ोतरी, को देखते हुए तथा अन्य प्रकार की संस्थाएं जैसे —वक्फ बोर्ड मसजिद कमेटी, सेन्ट्रल वक्फ कौंसिल इत्यादि के कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन की दरों को देखते हुए दरगाह कर्मचारियों का वेतन अभी भी बहुत कम है इसलिये दरगाह कर्मचारियों के वेतनमानों को ठीक कर, प्रोविडेंट फण्ड की योजना प्रारम्भ करना वित्तीय वर्ष 1988–89 में विचाराधीन है।

दरगाह कमेटी की बैठकें :

इस वर्ष होने वाली चार मिटिंग्स में से तीन मिटिंग्स दरगाह कमेटी की सम्पन्न हुई। एक आवश्यक मिटिंग नवम्बर, 1987 में भी सम्पन्न हुई जिसका मुख्य उद्देश्य उर्स 1987 में जो दुर्घटनाएं हुई थी उसके पुनरावृत्ति को रोकने के प्रबन्ध पर विचार करना था।

किराये की आय में वृद्धि :

दरगाह सम्पतियों से प्राप्त होने वाले किराये की आय में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1987–88 में वार्षिक किराये की आय में रु० 35,960/- की वृद्धि हुई जो कि इससे पूर्व वाले वर्ष में वार्षिक वृद्धि 30,030/- (रुपये तीस हजार तीस) थी।

सारांश :

चूंकि यह मेरी अंतिम रिपोर्ट है इसलिए मैं दरगाह के मौजूदा व भूतपूर्व सदस्यों, प्रेसीडेंट, वाईस प्रेसीडेंट जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया, उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और इनके सहयोग से ही मैं दरगाह शरीफ में अपना कार्य कर सका और भिन्न-भिन्न योजनायें हाथ में लेकर सम्पन्न कर सका। दरगाह के कर्मचारियों के वेतनमानों में भी सुधार करने में मैं सफल हो सका हूं क्योंकि 1982 में इनके वेतनमान बहुत ही कम थे। मैं दरगाह के कर्मचारियों के प्रति भी अपना धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने काफी लगन व मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन किया। मेरे कार्य-काल में यदि दरगाह कर्मचारियों के मेहनत, लगन व सहयोग प्राप्त नहीं होता तो मैं अपने कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं कर सकता था। और विशेष रूप से दरगाह की आय बढ़ाने में व अन्य कल्याण-कारी कार्यों को सम्पन्न करने में भी सफल नहीं हो सकता था चूंकि मैं अपने इस पद से मुक्त हो रहा हूं इसलिये मैं एक संतुष्ट व्यक्ति के रूप में मुक्त होऊंगा। दरगाह की आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है और स्थायी जमा शुदा राशियां भी दरगाह के पास काफी है लेकिन इतना सब होने के उपरान्त भी उन्नति का अंत नहीं समझा जाना चाहिए और विकास व उन्नति के लिये अभी भी बहुत सारे कार्य शेष है जिन्हें भविष्य में सम्पन्न किया जाना चाहिए।

ब्रिगेडियर एम० ए० खान (रिटायर्ड)
नाजिम
दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

STATE BANK OF INDIA

Bombay, the 12th June 1989

NOTICE

The Thirty-Fourth Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of India will be held at Ravindra Bharathi, Saifabad, Hyderabad-500 004, on Thursday, the 27th July 1989, at 4.00 p.m. for the transaction of the following business :

To receive the Central Board's Report, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made up to the 31st March 1989 and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

V. ATAL
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 1st April 1989

No. 3NCA (5)/8/88-89.—With reference to this Institute's Notification Nos. 4CA(1)/14/60-61 dt. 4-1-61 and 3NCA-(4)/3/86-87 dt. 27-2-87, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations,

1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	Membership No.	Name and Address	Date of Restoration
1.	4789	Shri Amiya Prasad Thakur ACA, 246/C Netaji Subhash Chandra Road Calcutta-19.	29-4-88
2.	82853	Shri Subash Chandra ACA, 33-D Pocket-AXI DDA Kalkaji Extn. New Delhi-110019.	10-8-88

No. 3NCA(5)/6/88-89.—With reference to this Institute's Notification Nos. 3NCA(4)/2/88-89 dt. 8-2-89, 4CA(1)/16/78-79 dt. 29-1-74, 3NCA(4)/8/83-84 dt. 31-3-84, 3NCA-(4)/9/85-86 dt. 31-3-86, 3NCA(4)/3/87-88 dt. 30-12-87, 3NCA(4)/5/85-86 dt. 20-3-86, 3NCA(4)/3/86-87 dt. 27-2-87, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	Membership No.	Name & address	Date of Restoration
1	2	3	4
1.	9216	Shri Raj Kumar, FCA 5/70 W.E.A., Karol Bagh New Delhi.	1-10-88
2.	11812	Shri Deepak Narain, ACA A/63 Madhuban Vikas Marg Delhi-110092. Foreign Address : Shri Deepak Narain, ACA P.O. Box-30237 Lusaka, Zambia.	1-4-89
3.	12618	Shri Anil Kumar, ACA 8-D Sarabha Nagar, Ludhiana.	1-10-88
4.	17952	Shri Matwaheer Parshad, ACA The Oriantal Insurance Company Ltd. Head Office, A-25/27 Oriental House Asaf Ali Road New Delhi-110002.	1-10-88
5.	80021	Shri Ramesh Kumar, ACA A/1-146, Paschim Vihar New Delhi.	1-10-88
6.	80346	Shri D. Swaminathan, ACA 308, SFS Apartments, Hauz Khas, New Delhi-110016.	14-3-89
7.	80380	Shri Rakesh Kumar Kamra ACA Krishak Bharati Corp. Ltd. 49-50, Nehru Place, New Delhi.	21-12-88
8.	81496	Shri Anil Chopra, ACA 339 Narmada Apartments Alaknanda-Pocket-D. New Delhi-110019.	30-11-88
9.	81971	Shri Bal Kishan Bansal, ACA W-123, Greater Kailash-II New Delhi.	1-10-88
10.	82168	Shri Sunil Kumar Sahni, FCA T-56 New Rohtak Road, New Delhi-110005.	1-10-88
11.	82769	Shri Jagdip Kumar, ACA 29 Community Centre, East of Kailash New Delhi-110065.	1-10-88
12.	82861	Shri Darshan Lal Khanijo ACA, 829 C.A. Apartmants Paschim Vihar New Delhi-110063.	13-12-88
13.	84325	Shri Rajesh Nakra, ACA, B-IX/1309 Bachan Singh Road, Opp. Old Courts Ludhiana.	1-10-88
14.	84423	Shri Jagjit Singh, ACA Vill. & P.O. Sarawan, Distt. Ambala-133 206 HARYANA.	23-3-89
15.	84707	Shri Arun Kumar Jain, ACA 4091 Jain Temple Lane, Pahari Dhiraj, Delhi-110006.	1-10-88
16.	84907	Shri Sharad Vatsyayana, ACA 27, Vaishali, Delhi-110034.	1-10-88

No. 3NCA (5)/7/88-89.—With reference to this Institute's Notification Nos. 3CA(4)/2/83-84 dt. 31-3-84, 3NCA(4)/3/87-88 dt. 30-12-87, 3NCA(4)/2/88-89 dt. 8-2-89, 3NCA-(4)/3/86-87 dt. 27-2-87, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl No.	Membership No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	10462	Shri Shiv Dayal Gupta, ACA Manager (Finance), N.B.C.C. Ltd., Lodi Road, New Delhi-110003.	14-11-88
2.	14817	Shri Harish Kumar Saxena, FCA B-301, Nehru Ground, Faridabad.	1-10-88
3.	80359	Shri Sudhir Joshi, FCA 31 Community Centre, East of Kailash New Delhi.	1-10-88
4.	81338	Shri Pawan Kumar, ACA 3576 Subhash Marg Darya Ganj New Delhi.	25-1-89
5.	83643	Shri Hardesh Kant, ACA M/s. Hardesh Kant & Co. Chartered Accountants 29, New Anaj Mandi, Ambala City.	1-10-88
6.	85704	Shri Anil Kumar Gupta, ACA GD-205, First Floor Pitam Pura, Delhi-110034.	1-10-88

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3NCA (8)/18/88-89.—In pursuance of Regulation 10(1) (iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members has been cancelled from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold the same.

Sl. No.	Membership No.	Name & Address	Date of Cancellation
1.	82635	Shri Pradeep Chowdhry, FCA 2nd Floor, B6/66 Safdarjung Enclave, New Delhi-110 029.	27-3-89
2.	83191	Shri Mahesh Bhushan, ACA M-II/46, Model Town-III Delhi.	9-9-88
3.	83909	Shri Mahender Kumar, ACA 230, Ram Nagar, Delhi-110 051.	20-3-89
4.	84441	Shri Girish Mehra, ACA House No. 1509 Sector-33 D Chandigarh-160 001.	1-8-87
5.	85348	Shri Navneet Kumar Sehgal, ACA 1771, Sector-23 B Chandigarh.	12-8-88
6.	85809	Shri Amal Sinha, ACA Flat No. 230, Pocket B S.F.S Flats (D.D.A.) Sukhdev Vihar New Delhi-110 025.	3-2-89
7.	86345	Shri Rajeev Ailawadi, ACA 6/25, Old Rajinder Nagar, New Delhi-100 060.	1-4-89

No. 3NCA (8)/19/88-89.—In pursuance of Clause (iv) of Regulation 10(1) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled with effect from the dates mentioned against their names as they had not paid their annual fee for Certificate of Practice.

Sl. No.	Membership No	Name & Address	Date of Cancellation
1.	19181	Shri Prakash S. Talreja, FCA 4104, Thistle Circle, Virginia Beach, VA 23462, U.S.A. INDIAN ADDRESS Shri Prakash S. Talreja, FCA C/o M/s. Rangoon Studio, Talreja Bros, 58, Janpath New Delhi-110 001.	1-10-88
2.	85917	Miss Chitra Ramadorai, ACA 496, Sector-9, R.K. Puram New Delhi-110 022.	1-10-88

M. C. NARASIMHAN,
Secretary

Bombay-400 005, the 27th April 1989

No. 3WCA(8)/3/89-90.—In pursuance of Regulation 10(1)(iv) read with Regulation 10(2)(b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of practice issued to the following members have been cancelled from the dates mentioned against their names as they had not paid their annual fee for certificate of practice.

Sr. No.	M. No.	Name & Address	Dates
1.	09060	Shri P.E. Jambhekar, ACA A 15/2, HDFC Colony, Chinchwad, Pune-411 019.	1-10-88
2.	30006	Shri Shridhar L. Mirani, FCA Laxmibhuvan, 80 N.G. Road, Ghatkopar, Bombay-400 077.	1-8-84
3.	31292	Shri Ravi Mahalingam Iyer, FCA Flat No. 6 Meena R.B. Mehta Road, Ghatkopar East, Bombay-400 077.	1-10-88
4.	34566	Shri S. Y. Nagarsekar, ACA 4, Damodar Nivas, Gr. Floor Natwar Nagar, Road-4 Jogeshwari-East Bombay-400 060.	1-8-87
5.	37717	Shri Ramesh Chichani, ACA B/15, Kulprem Vazira Naka, Borivli (West) Bombay-400 092.	1-10-88

M. C. NARASIMHAN,
Secretary

Calcutta, the 2nd June 1989

No. 3ECA/5/2/89-90.—With reference to the Institute's Notification No. 3ECA/4/11/86-87 dated 31-3-87, 3ECA/4/12/83 dated 31-3-84, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names.

Sl. No.	Membership No.	Name & Address.	Dte of Restoration.
1.	6481	Shri Debendra Ghosal, ACA 107, Normandy Road Colonia, NJ 07067 USA.	26-4-89
2.	50743	Shri Somesh Kumar Mukhopadhyay, ACA 8/3 Aurovinda Avenue, Durgapur-713 204.	17-4-89
3.	52049	Shri Satyabrata Das, ACA C/o. M/s. Brahmananda & Co. Ranihat Cuttack-753 001.	3-4-89

No. 3ECA/8/2/89-90.—In pursuance of Regulation 10(i)(iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificates of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold the same.

Sl. No.	Mem. No.	Name & Address	Date of Cancellation
1.	4843	Shri Mangat Mal Sethia, FCA P-9, Shibtolla Street, 2nd Floor Calcutta-700 007.	1-4-89
2.	9147	Shri Dipak Kumar Dasgupta, ACA 26/1B Sashi Bhusan De Street, Flat -15 Calcutta-700 012.	10-4-89
3.	10073	Shri Baidyanath Debnath, ACA 15B, Balaram Bose 2nd Lane Calcutta-700 020.	26-4-89
4.	10985	Shri Ganga Ram Bhaniramka, FCA 62/1 Strand Road, Calcutta-700 006.	1-4-89
5.	12443	Shri Arya Kumar Ray, ACA 27, Parasar Road, Calcutta-700 029.	11-4-89
6.	52030	Shri Gautam Banerjee, FCA 10/1, Prantik 2/2B, Burdwan Road, Calcutta-700 027.	1-4-89
7.	52662	Shri Jugal Kishore Chandak, ACA 470A Rabindra Sarani, Calcutta-700 005.	25-4-89
8.	54385	Shri Ashim Kshetry, ACA M/s. Kailash Nath & Associates 14B, Camac Street, Calcutta-700017.	1-4-89

The 5th June 1989

No. 3ECA/4/1/89-90.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their own request, the names of the following members with effect from the date mentioned against their names :

Sl No.	Mem. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	4238	Shri Sushil Kr Guha Mustafi, 1, Natore Park 2nd Road, Calcutta-700 039.	1-4-89
2.	38031	Shri Fazal Fatehally, 6414 N. Newgard-1E Chicago IL-60626 U.S.A.	1-4-89

No. 3ECA/4/2/89-90.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(a) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed fro mthe Register of Members of this Institute on account of death the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names :

Sl. No.	Mem. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	3456	Shri Kamesh Prasad Bhargava, M/s. Price Waterhouse, B 3/1, Gillander House, N.S. Road Calcutta-700 001.	21-4-89
2.	5535	Shri Ram Chandra Jayaswal, M/s. S. R. Batliboi & Co. 36 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700 013.	5-4-89
3.	5273	Shri C. Raghunadham M/s. Rowe & Pal Kathagola Mangalabag Cuttack-753 001.	30-4-89

M. C. NARASTIMHAN,
Secretary

Madras-600 034, the 30th May 1989

No. 3SCA(4)/1/89-90.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	402	Shri Desapandi Tirumala Rao 40-812A, Nehru Nagar, Kurnool-518 004.	10-03-89
2.	5134	Shri Sait S. Mohomed Ismail 6, Sulaiman Zackria Avenue Casamajor Road, Egmore Madras-600 008.	10-2-89
3.	8108	Shri C. N. Krishnan 849, Syndicate Bank Colony Annanagar West Madras-600 101.	25-1-89
4.	21715	Shri S. Muralidharan No. M49/4, First Main Road Besant Nagar Madras-600 090.	20-10-88
5.	27254	Shri P. V. Satyanarayana, 25-7-1, Pallavari Street, Visakhapatnam-530 001.	2-3-89

The 5th June 1989

No. 3SCA(8)/1/89-90.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with

effect from dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	M.No.	Name & Address	Dates
1.	3810	Shri S.R. Rajasekaran, ACA Site No. 51. T.Nagar Ramanathapuram COIMBATORE : 641 045.	01.04.89
2.	20289	Shri P. Balasubramaniam, ACA C/o Standard Chartered Bank P.O.Box 999 DUBAI—UAE	10.04.89
3.	21178	Shri Roy I. Vanghese, FCA Malayatoo, Parottukonam Nalanchira P. O. TRIVANDRUM : 695 015.	01.04.89
4.	22330	Shri N Narayanaswamy, ACA Sr. Accounts Officer NTPC/VSTPP Vindhyanagar P. O. 486 885 Sidhi Dist.	27-3-89
5.	23160	Shri D. S. Prasad Reddy, ACA Basement, Saphire Complex 5-9-88/1 &2 Chappel Road, Fath Maidan Hyderabad : 500 001.	3-4-89
6.	23697	Shri P. Narayanan, ACA Purayannur House, Ottapalem Kerala-679 101.	26-4-89
7.	23725	Shri P. Thirumale Satyanarayana, ACA APT-5E, 139-05, 85th DR Kew Gardens New York-11435.	13-3-89
8.	24483	Shri K. K. Ramesh, ACA 19/980 'Geethanjali', Tali East Kozhikode,—673 002—Kerala	18-1-89
9.	24858	Shri S. Rajagopalan, ACA 'Kanakadhara, No. 5, Natesa Mudali Street Venkatapuram, Ambattur Madras : 600 053.	27-03-89
10.	26345	Shri S. Selvaraj, ACA Salaipudur, Salaipudur (P.O.) Erode (TK) 631 158 Periyar Dist.	1-12-88
11.	26448	Shri S. R. Santa Prakash, ACA 3, Lakshmi Colony, T. Nagar Madras : 600 017.	13-3-89
12.	27267	Shri A. V. Sugavanam, ACA F-19, Indiragandhi Road Fairlands. Salem : 636 016.	1-4-89
13.	27605	Shri K.S. Sanal Kumar, ACA Accounts Manager (T) Revenue Section IAAI -Bombay Airport Bombay : 400 099.	19-01-89
14.	28144	Shri M. S. Ramesh, ACA No. 192, Sri Ayyappa Nagar Madras : 600 111	16-11-88

No. 3SCA(8)/2/89-90.—In pursuance of Regulation 10(i)(iv) read with Regulation 10(2)(b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from dates mentioned against their names, as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Dates
1.	12571	Shri V. Muralidharan, ACA T14, 3rd Main Road, Anna Nagar Madras : 600 040.	1-8-82
2.	14084	Shri A. Panchapakesan, ACA H 43/7, West Avenue Thiruvanmiyur Madras : 600 041.	1-8-87
3.	21133	Shri Mohammed Niyamathullah, ACA 59, Strahana Road Perambur Barracks Madras : 600 012.	1-8-82
4.	21150	Shri R. S Rajan, ACA 36, Mahal 4th Street Madurai : 625 001.	1 8-86
5.	19573	Shri P. Venkatachalam, ACA 12-2-827/7, Kanthinagar Colony Mehdipatnam Hyderabad : 500 028.	1-8-85
6.	37702	Shri Rup Narain Pillai, ACA 744, Indiranagar I Stage Bangalore, 560 038.	1-8-86

M. C. NARASIMHAN
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 30th May 1989

No. N-15/13/14/1/89-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-89 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954, shall be extended to the families of insured pesrons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Tiruppur :—"The area comprising revenue village of Veerapandi (No. 24 Veerapandi) in Palladam Tahik in coimbatore District.

Hosur Suburbs :—"The area comprising revenue village of Moranapalli in Hosur Taluk in Dharmapuri District".

S. GHOSH, Director (PLG & DEV.)

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

New Delhi-110 003, the 1st June 1989

NOTIFICATION OF THE SCHEME UNDER SECTION 28(3) OF ELECTRICITY (SUPPLY) ACT, 1948 AS AMENDED TALCHER SUPER THERMAL POWER STATION STAGE-I (2×500 MW) AND ASSOCIATED TRANSMISSION SYSTEM

No. 01 : GN : 3.—WHEREAS National Thermal Power Corporation Ltd., New Delhi, a Generating Company set up by the Government of India, under the Electricity (Supply)

Act, 1948 as amended (hereinafter called as "Generating Company") has sanctioned the following scheme relating to the establishment, construction, operation and maintenance of generating Station. Tie Lines and Sub-station equipment etc. consisting of 1000 MW (2×500 MW) Capacity Power Station and associated transmission System with the concurrence of Central Electricity Authority (CEA) under Section 31 read with Section 29(1) of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended.

AND WHEREAS under Section 28(3) of the said Act, the Generating Company is required to publish the sanctioned scheme in the Official Gazette.

NOW, therefore, the Generating Company hereby publishes the scheme in terms of Section 28(3) read with Section 42 of the aforesaid Act.

Name of the Scheme

The Scheme shall be called Talcher Super Thermal Power Station—Stage-I consisting of 1000 MW (2×500 MW) Capacity Power Station and associated transmission System.

Location

The Talcher Super Thermal Power Project is located at Dhenkanal district of Orissa State.

Sallent Features of the Scheme

To meet the growing demand for power and supplement the power programme of the States in the Eastern Region, Talcher Stage-I has been proposed by National Thermal Power Corporation Ltd. The scope of work includes installation of two (2) nos. of 500 MW each turbo-generators with associated auxiliaries together with two (2) nos. steam generators. The scope of work also includes generation bus ducts, generator transformers, step up transformers, 400 KV switchyard, Unit & Station auxiliary transformers, HT & LT switchgears control and instrumentation, CW system including cooling towers, coal and ash handling plants, air compressor and other auxiliary mechanical and electrical equipment, colony for the O&M personnel of the plant, approach road, MGR system for coal transportation, railway siding etc.

The main features of the associated transmission system through which the power generated at the station would be evacuated are as under :—

	Route length (km.)
A. 400 KV Transmission Lines	
(i) Talcher STPS-Rengali	Double Line 40
(ii) Talcher STPS-Rourkela	Double Line 175

B. 400 KV Sub-station Extensions/Augmentation

(i) Extension to the already approved 400 KV Substation at Rengali under NHPC.

(ii) Augmentation and Extension of already approved Substation at Rourkela (covered under Kahalgaon STPS Transmission System).
— 1×315 MVA, 400/220 KV.

The Coal requirement of the project will be met from the Lingaraj block of Talcher coal fields. The Coal will be transported to the station site through a captive merry go round system established by NTPC.

The consumptive and make up water for Talcher STPP Stage-I will be supplied from samal Barrage Reservoir on River Brahamani.

Estimated Cost

The sanctioned estimated cost of the Scheme is Rs. 1404.04 crores including Interest during construction and working capital margin for Generating Station and Rs. 76.81 crores (Rs. 76.58 crores as sanctioned by CEA) including interest during construction for the associated transmission System.

Commissioning Schedule

The first 500 MW unit of the Project will be commissioned by April, 1994 and the Second unit by March, 1995. The associated transmission lines will be commissioned progressively to ensure that power can be evacuated to the beneficiary States when the first unit goes into Commercial Operation.

In pursuance of the Electricity (Supply) Act, 1948. (as amended), the Generating Company shall exercise all the powers under the said Act for the purposes of implementation of the aforesaid sanctioned Scheme. It is also hereby notified that in terms of Section 42 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (as amended), the Generating Company in undertaking and executing the sanctioned Scheme, shall have all the powers for placing of wires, poles, wall-brackets, stays apparatus and other appliances for transmission and distribution of electricity or, for transmission of telegraphic or telephonic communication necessary for the proper coordination of the works of the Generating Company in the area indicated above, which the Telegraphic Authority possesses under Part-III of the Indian Telegraph Act, 1885 in respect of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained notwithstanding the provisions of Section 12 to 16 and 18 and 19 of the Indian Electricity Act, 1910.

In terms of the statutory provisions contained in Section 28(3) of the Electricity (Supply) Act, as amended, the sanction of the aforesaid scheme is hereby notified to the general public by publication in the official Gazette.

By the order of Natoinal Thermal Power Corporation Ltd.

D. K. BEBBER
Company Secretary

AUDIT REPORT ON DARGAH KHAWAJA SAHEB, AJMER FOR THE YEAR 1987-88

1. *Introductory* :

1.1 For proper administration of Dargah and endowment of the Khawaja Moinuddin Chisty popularly known as Dargah Khawaja Saheb, Ajmer, the Dargah Khawaja Saheb Act was passed by the Parliament in 1955. As per provisions of the said Act, the Dargah endowment includes :—

(a) the Dargah Khawaja Saheb, Ajmer,

(b) all buildings and movable property with in the boundaries of Dargah Sharif.

(c) Dargah Jagir including all land, houses and shops and all movable property wherever situated, belonging to Dargah Shareef,

(d) all other property and all income derived from any source, dedicated to the Dargah or placed for any religious, pious or charitable purposes under the Dargah administration including the Jagirdari villages of Hokran and Kishannura in Ajmer and

(e) All such 'nazar' and offerings as are received on behalf of the Dargah by the Nazim or any other person authorised by him.

1.2 The administration, control and management of the Dargah endowment is vested in a Committee as 'The Dargah Committee Ajmer'. The Committee exercises its functions through the Nazim appointed by the Central Government in consultation with the said Committee. The Nazim is the Chief Executive Officer of the Dargah Administration, who also acts as Secretary of the Committee.

1.3 Under Section 19(1) of the Act *ibid*, the accounts of the Dargah are required to be audited every year by such persons and in such a manner as the Central Government may direct. The Central Government has entrusted the audit to the Comptroller and Auditor General of India.

under the provisions of section 20(1) of the C.A.G's (DP&CS) Act, 1971.

1.4 Section 19(2) of the Dargah Khawaja Saheb Act, 1955 envisages that the Committee shall every year prepare a report on the administration of the Dargah, which together with the accounts of the Dargah and the report of the auditor thereon, shall be published in the official Gazette. The said report for the year 1986-87 is still awaited.

2. *Summary of transactions*

The opening balance at the begining of the year was Rs. 10.18 lakhs (including securities and fixed deposits of Rs. 5.33 lakhs). The total receipts during the year amounted to Rs. 32.26 lakhs. After meeting the expenditure of Rs. 22.38 lakhs (total expenditure Rs. 27.68 lakhs minus Rs. 5.30 lakhs invested in fixed deposits), there was a closing of Rs. 20.06 lakhs at end of 31st March 1988, out of which Rs. 10.63 lakhs stood invested in securities and deposits.

3. *Non-Preparations of Income & Expenditure Account on accrual basis.*

The Dargah administration prepared only a statement of actual income and expenditure for the year 1987-88. The income and Expenditure Account should have been prepared on accrual basis, where all income, whether received or not, is taken credit for and the expenditure whether paid or not, for the year in question, is charged. Thus the accounts prepared by the Dargah—administration were in fact the Receipts and payment Account.

4. *Non-Preparation of Balance Sheet.*

The Dargah administration had not prepared the Balance Sheet since inception, with the result that the exact position of the assets and liabilities of the Dargah Khawaja Saheb at the close of 1987-88 was not ascertainable. Despite the fact that this short comings was brought to the notice of the Dargah administration every year through Audit and Inspection Reports, no action was taken for the preparation of the Balance Sheet so far (June 1988). The progress made in the preparation of the Balance Sheet was intimated that practically of the Balnce Sheet was discussed with the Nazim of the Dargah and it was intimated that practically it would be difficult to prepare the Balance Sheet, it was, however, noticed that the matter came up for discussion in the meeting of the Dargah Committee held on 9th & 10th, April, 1988 and the President of the Committee suggested that services of some Chartered Accountant might be obtained but no action in this regard was found to have been initiated up to June, 1988.

Besides various immovable properties, there are many costly items of gold and silver in the 'Gumbad' Sharif, main Toshakhana and subsidiary Toshakhana of the Dargah, the accountal and exhibition there of is essential in the books of accounts of the Dargah Khawaja Sahib in order to reflect complete picture of the assests.

Sd/- ILLEGIBLE
Accountant General (Audit)

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Receipts and Payments Account of Dargah Khawaja Saheb, Ajmer for the year ending 31st, March 1988. I have obtained all the information and explanation that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of Dargah Khawaja Sahib, Ajmer, according to the best of information and explanation given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/- ILLEGIBLE
Accountant General (Audit)
Rajasthan : Jaipur

Place : Jaipur
Dated : 5th December 1988.

ANNUAL ADMINISTRATION REPORT 1987-88

INTRODUCTION

It is my proud privilege to present before the Dargah Committee the Annual Report for the year 1987-88.

2. During the year under review, the Dargah Committee consisted of the following :—

(a) Janab Ismail M. Bawla	President
(b) Janab Hasan Sani Nizami	Vice-President
(c) Janab Shah Hussain Ahmad	Member
(d) Janab Rais Mian Chishty	Member
(e) Janab Mohd. Zaman Arif	Member
(f) Janab Khawaja Ahmad Nizami	Member
(g) Janab M. S. Farooqi	Member
(h) Janab Jan Mohd. Khan	Member
(i) Janab Abdul Rahman Khan Nashtar	Member
(j) Brigadier M.A. Khan (Retd)	Secretary

3. Janab Ismail M. Bawla and Janab Khawaja Hasan Sani Nizami remained President and Vice-President of the Committee throughout the year, respectively.

FINANCIAL POSITION

4. Details of the financial position of the Dargah Committee for the year under report are as under :—

Opening Balance	1st April 1986	1st April 1987
Current	Rs. 3,03,154.00	Rs. 4,85,494·00
Fixed Deposit	Rs. 1,51,000.00	Rs. 5,31,000·00
Securities	Rs. 2,000·00	Rs. 2,000·00
	Rs. 4,56,154·00	Rs.10,18,494·00

RECEIPT DURING THE YEAR :

	1986-87	1987-88
	Rs.	Rs.
Revenue	22,90,290·00	26,90,255·00
Capital	30,039·00	35,652·00
Loan	—	5,00,000·00
Total	23,20,329·00	32,25,907·00

EXPENDITURE DURING THE YEAR :

	1986-87	1987-88
	Rs.	Rs.
Revenue	16,15,343·00	20,65,162·00
Capital	2,42,646·00	1,72,849·00
Total	17,57,989·00	22,38,011·00

CLOSING BALANCE AS ON :

	31-03-1987	31-03-1988
	Rs.	Rs.
Current	4,85,494·00	9,43,019·00
Fixed Deposit	5,31,000·00	10,61,371·00
Securities	2,000·00	2,000·00
Total	10,18,494·00	20,06,390·00

5. There has been an overall net increase of Rs. 3,99,965/- (Rupees Three Lakhs, Ninety-nine thousand, Nine Hundred

and sixty-five) in the income of the Dargah Shareef during the year under review. In fact, there has been a record breaking increase in the overall income of Dargah Shareef during the last six years as would appear from the figures given below :—

1981-82	1982-83	1983-84
Rs. 9,98,940/-	Rs. 11,99,947/-	Rs. 13,74,752/-

1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
17,55,460/-	18,67,275/-	22,90,290/-	26,90,255/-

Corresponding to the increase in the income, the expenditure also increased, particularly on charitable and welfare activities as would be seen from the details given below :

	1981-82	1987-88
(1) Pay of Staff.	1,92,017·00	5,06,068·00
(b) Stipend to widows	18,815·00	36,929·00
(c) Langar, daily and Ramzan	55,342·00	1,48,507·00
(d) Repairs of properties, Idgah and Mosques.	15,525·00	1,48,507·00
(e) Purchase and repairs of Shamyanas.	13,798·00	41,896·00
(f) Darul Uloom and Scholarships to Technical/Medical students.	3,600·00	7,440·00
(g) Homoeopathic and Unaniki Shafa khana	10,705.00	68,388·00

The Dargah administration also incurred the recurring expenditure on daily supply of Flowers, "Sandal" and candles to the Holy Shrine. Payment of Electricity and water charges, payment of salary to staff, scholarships to students and expenditure on daily langar, help to the poor, maintenance of Dargah Shareef and Guest Houses has been done regularly and satisfactorily.

Urs Mubarak of Hazarat Khawaja Gharib Nawaz (R.A.)

Urs Khawaja Moinuddin Chishty (R.A.) commenced on 1st Rajab 1408 Hijri corresponding to 20th February, 1988 and was over after Bara Qul on 9th Rajab corresponding to 28th February, 1988. On this day, the whole of Dargah is washed and cleaned. Zaireen sprinkle rose water. Instances of injuries caused by pieces of broken glass bottles were nil this year because Zaireen were not allowed to carry rose water in glass bottles. Instead, they were asked to bring it in plastic containers. The Friday Prayers were held on 30th Jamadiussani and 7th Rajab corresponding to 19th and 26th February, 1988 respectively. More than two lac Zaireen offered their prayers on each Friday. It was a record crowd and every thing passed off extremely well. Excellent arrangements were made for regulating entry and exit of Zaireen on both occasions. Outside Dargah Shareef, the Namazees stood in several rows upto Madar Gate and Railway Station on one side and upto Daulat Bagh on the other. The Dargah administration had installed a large number of loud speakers sufficient to cover the entire area in anticipation of the huge congregations this year.

Qul ceremony was held on 6th Rajab corresponding to 25th February, 1988, from 11.30 A.M. to 1.30 P.M. Every thing went off very well. About Four lac Zaireen paid their homage to the Holy Saint. All the ceremonies and rituals were held in accordance with the traditions and procedures laid down for this occasion.

A Camp was established at Vishram Sthal for the Zaireen who come by private buses. This year, over 3000 private buses arrived from various places. The arrangements for parking at Vishram Sthal were very satisfactory. At the Camp site, special attention was paid to cleanliness and sanitation and despite drought and many other difficulties, water was made available in abundance. Sufficient number of hand-pumps were installed and fitted with pumping-sets and storage tanks. Fair price shops were opened and essential commodities were made available in large quantities. Cheap food packets were also provided to the Zaireen for the first time. The Dargah administration established a Service Camp at Vishram Sthal with a view to help the Zaireen. It was manned by Dargah Staff and Scouts. A 16-Channel public address system with sufficient number of loud-speakers covering Vishram Sthal, railway station, etc. was installed this year by the Dargah administration at the Central Enquiry Office established at Buland Darwaza. Over 750 missing children/adults were restored to their parents/wards. The volunteers of Bharat Scouts and Guides rendered valuable service. Two First Aid Posts were set-up at Vishram Sthal under the aegies of the Indian Red Cross Society, U.P. The Close Circuit TV sets were installed inside Dargah Shareef for the first time by the Dargah administration. This was done for the purpose of crowd control and also for keeping an eye on the undesirable elements.

Cleaning of Jhalra, which was long over due, was taken-up in right earnest with the help of the District Administration this year. Deep boring at Jhalra was also done. This proved very useful in augmenting the supply of water. Necessary steps were taken to ensure that the entire Dargah Shareef and the Guest House Complex remained well lit throughout. Extra hands were employed for Urs duties. They worked round-the-clock with the regular staff to keep the premises clean. There were no complaints regarding electricity and no complaints regarding water supply.

Extra Chaprasis and Safai-walas were employed by Dargah administration to cope with the added load of work during Urs. High standard of cleanliness and sanitation was maintained within the Dargah premises despite the fact that Deg was cooked daily. This year, the cooked food was not allowed to be looted and sold, but it was distributed in a disciplined manner inside the iron-bar-enclosure which was properly renovated for this purpose. The entire area was, therefore, kept absolutely neat and clean this year.

The Pakistan Delegation consisting of 265 Zaireen attended the Urs and presented arrangements for their stay at the Government Girls Higher Secondary School were made by the District Administration. They were accorded a Civic Reception by the Nagar Parishad at the Vijay Laxmi Park, Ajmer.

Seven Dispensaries, including one First Aid Post of the All India Red Cross Society, U.P. were set-up for free treatment of Zaireen within Dargah premises. The total number of patients treated during the Urs stood at 30,950.

All the necessary administrative arrangements, in particular, Police, Electricity, Water supply, Hygiene, sanitation and cleanlines were excellent and remained so through-out the Urs. Adequate arrangements were made by the Railways services rendered by them were very satisfactory.

Although Qul was over on 20th February, 1988, a very large number of Zaireen stayed here to offer Friday Prayers on 26th February, 1988. It was indeed a huge congregation and rows of Namazees touched the Railway Station and Daulat Bagh areas. However, by the Grace of God, every thing passed off extremely well. District Officials from top to bottom worked with utmost sincerity and the co-operation of District Authorities with the Dargah Administration at all levels was excellent. The Dargah Staff worked round the clock against heavy odds and discharged their duties with zeal and devotion. The untiring efforts and sincerity of purpose of the District and Dargah Administration coupled with God's Grace and Blessings of the Holy Saint were well rewarded when the pilgrims exclaimed—"Such arrangements inside and outside Dargah Shareef were never seen before".

Rituals of Dargah Shareef

The Mahafils of Annual Urs Shareef of Gharib Nawaz and Khawaja Usman Harooni, and other Mahafils of Jumerats (Thursdays) and Chhati Shareef (Sixth of every

Islamic month) were performed properly. The "Airas" of Khulefa-e-Rashidin, Muharram Shareef, Idd Miladun Nabi etc. were observed with solemnity.

Audit of accounts

Audit of the Dargah Accounts for the year 1987-88 has been carried out by A. G. Rajasthan. As the Accounts have been maintained properly, there have not been any serious objections/observations. The Audit Report for the year under review is "Nil". A copy of Audit Certificate is at Appendix.

Welfare Activities and Financial Aid

The following major expenses on welfare and social activities have been incurred during the year 1987-88 :—

(a) *Stipend to widows and Needy*

A sum of Rs. 36,929/- (Rupees Thirty-six thousand, nine hundred, twenty-nine) was given to 177 widows of Khadims, non-Khadims, Peerzadgans, local and outside Ajmer.

(b) *Scholarships to Medical and Technical Students*

A sum of Rs. 7440/- (Rupees Seven Thousand Four Hundred forty) has been given to five students as Merit-cum-means Scholarships at the rate of Rs. 100/- (Rupees Hundred) per month.

(c) *Tajheez-o-Takfin (Burial of unclaimed bodies)*

A sum of Rs. 15,537/- (Rupees Fifteen Thousand Five Hundred thirty-seven) has been spent on burial of unclaimed bodies and of those who could not afford the expenses.

(d) *Aid to poor students, poor Parents, Sadir-O-Warid, victims of theft/Pick-pocketing etc.*

A sum of Rs. 10,856/- (Rupees Ten Thousand Eight-Hundred fifty-six) has been spent in giving financial aid to the above category of needy persons.

(e) *Aid to Educational Institutions*

An ad-hoc grant of Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand) has been paid to the Mohammed Ali Memorial Higher Secondary School, Beawar, besides the regular aid of Rs. 400/- per month.

(f) *Medical aid to staff and others*

A sum of Rs. 4594/- (Rupees Four Thousand Five Hundred Ninety-four) was disbursed on account of medical aid to staff and others.

(g) *Supply of free medicines and maintenance of Dispensaries*

The Dargah Committee is running two full-fledged free Dispensaries, Homoeopathic and Unani. A sum of Rs. 68,168/- (Rupees Sixty-eight thousand one hundred sixty-eight) was spent on running the two Dispensaries and more than one lac people were given free medicines during the year under review.

Langar in Ramzan and Iftari to Prisoners of Central Jail

Over 300 poor Rozdars have been given two sumptuous meals daily during Ramzan. Besides this, Iftari including ice, sugar etc. for 65 Central Jail Prisoners who observed Fast, was arranged through-out the month of Ramzan. A sum of Rs. 15,506/- (Rupees Fifteen thousand Five hundred six) has been spent on this account.

Daily Langar

Daily Langar (cooked porridge of wheat and barley) has been distributed twice daily to all without any distinction. The expenditure for the year 1987-88 amounts to Rs. 84,500/- (Rupees Eighty-four thousand five hundred).

Future Projects

The Dargah Committee has planned to take-up the following Projects for the development of Dargah properties :—

(a) Replacement of red stone with marble within Dargah Shareef.

(b) Improvement of Dargah Library.

(c) Establishment of a Career Corner within Dargah Shareef.

(d) Construction of residential-cum-shopping Complex at Dargah Bungalow.

(e) Construction of Latrines.

(f) Improvement of farm land at village Kayar.

Although there has been a substantial increase in the pay of staff during the last six years, but it has not been commensurate with the increase in the price index and pay and allowances of the employees of other similar institutions like Wakf Boards, Masajid Committee (Rajasthan) and Central Wakf Council. Therefore, proposals for rationalisation of pay-structure and introduction of Provident Fund Scheme in accordance with the resources have been elated for consideration during the financial year 1988-89.

Meetings of the Dargah Committee

Of the four Meetings scheduled to be held during the year, three were held. An Emergency Meeting was also held in November, 1987 to consider the remedial measures suggested by the Committee which enquired into the causes of the unfortunate mishap that occurred during Urs 1987.

Increase in Rental Income

There has been a steady increase in the rental income of the Dargah properties. During the year 1987-88, the rental income increased by Rs. 35,960/- (Rupees Thirty-five thousand nine hundred sixty) per annum as against an increase of Rs. 30,030/- (Rupees Thirty thousand thirty) per annum during the last financial year.

Conclusion

Since it is my last Report, I wish to express my deep gratitude to all the present and previous Members, Presidents, and Vice-Presidents for giving me whole-hearted support and timely directions which enabled me to render some service to Dargah Shareef and also to take various steps towards improving the lot of Dargah Staff who were very poorly paid in 1982. I also owe my sincere thanks to all the Members of the Staff, who by and large, worked with devotion. But for their hard work and co-operation perhaps it would not have been possible to achieve all-round success year after year during my tenure, in particular to increase the income and to introduce additional welfare measures. Now that I may be leaving my office in very near future, I shall be leaving as a fully satisfied man. The financial position of Dargah Shareef has been put on sound footing, permanent assets have been added and a well defined way has been paved for my successor. But this should not be taken as final since there is a lot of scope for further development and improvement in the dargah Shareef, its endowment and administration.

Brigadier M. A. KHAN (Retd.)
NAZIM
Dargah Khwaja Sahib
AJMER

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989